संख्या-3/2024/बी-1-361/दस-2024-146/2004
ई.पत्रा.सं.10-5002/115/2021(क.सं. 1265296)

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊःदिनाँक: 30 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में माह मार्च, 2024 के वेतन का भुगतान।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक अनुदान की माँगें विधान मण्डल द्वारा पारित हो चुकीं हैं तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनाँक 04 मार्च, 2024 (शासनादेश की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सचिव एवं सचिवालय के समस्त अनुभागों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में, राज्य कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह मार्च, 2024 के वेतन का भुगतान माह अप्रैल, 2024 में सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।